न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 173/2025

दायर दिनांकः 09.09.2025

उनवान

1– सूरजमल पि. मथरालाल जाति धाकड नि. लालगांव तहसील सुनेल

प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल
2– छोटुदास पि. चन्दर जाति बैरागी नि. लालगांव तहसील सुनेल
3– राधेश्याम पि. चन्दर जाति बैरागी नि. लालगांव तहसील सुनेल
4– ललताबाई बेवा चन्दर जाति बैरागी नि. लालगांव तहसील सुनेल
5– दामोदर पि. मोहनलाल जाति बैरागी नि. लालगांव तहसील सुनेल
6– रघुनन्दन पि. मोहनलाल जाति बैरागी नि. लालगांव तहसील सुनेल
7– रमेशचन्द पि. मोहनलाल जाति बैरागी नि. लालगांव तहसील सुनेल
8– श्रीमान शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगणः–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री प्रेमचन्द चौधरी
अप्राथी सं. 1 :– पैरोकार सरकार
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6, 7 :– श्री विनोद शर्मा
अप्रार्थी सं. 4 व 8 – एकतरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ सत्यमेव जयते

आदेश दिनांक : 27.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम लालगॉव प.ह. आकोदिया भू.अ. नि.क्षे. सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड राज. में स्थित आराजी खाता संख्या नया 209 पुराना 127 का खसरा नम्बर– 620/189 रकबा 0.0253 हैक्टेयर बीड प्रथम, खसरा नम्बर–621/190 रकबा [illegible] हैक्टेयर माल प्रथम कुल किता 02 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी [illegible] खातेदारी में दर्ज खातेदारी कब्जे में स्थित है। (नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 संलग्न है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि ग्राम लालगाँव प.ह. अकोदिया भू.अ.नि.श्री. सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड राज में स्थित आराजी खाता संख्या 150 पुराना 132 का खसरा नम्बर– 533/189 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 534/190 रकबा 0.4676 हैक्टेयर खसरा नम्बर– 680/435 रकबा 0.0633 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 682/468 रकबा 0.5944 हैक्टेयर (मन्दिर की टुकडी) कुल किता 04 कुल रकबा 1.1382 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी 02 लगायत 04 के खातेदारी कब्जे काश्त की स्थित है। (नकल प्रमाणित जमाबन्दी संवत–2073–2076 संलग्न है।) यह कि ग्राम लालगॉव प.ह. आकोदिया भू.अ.नि.क्षे. सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड राज. में स्थित आराजी खाता संख्या नया 154 पुराना 127 खसरा नम्बर 180 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.5691 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 334 रकबा 0.7841 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.5185 हैक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 2.4914 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 07 के खातेदारी में स्थित है। (नकल प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2073–2076 संलग्न है।) यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 01 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर–620/189 एवम खसरा नम्बर– 621/890 राजस्व कर्मचारीयों द्वारा मुताबिक चिन्हित तरमीम राजस्व लठ्ठा नक्शा के वक्त सेग्रीकेशन कम्प्युटर में ऑन लाईन करते वक्त सहवन से गलत नक्शा तरमीम कर दिया है। जिसको शुद्धीकरण करवाए जाने का प्रार्थी को अधिकारी प्राप्त है। सेग्रीकेशन वक्त राजस्व कर्मचारीयों द्वारा की गई गलती त्रुटी काबिज दुरूस्ती योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर–534/190 एवम प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 03 में वर्णित खसरा नम्बर– 189 एवम खसरा नम्बर 190 राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सहवन से त्रुटी कर गलत तरमीम कर दिये गये है। जिसका सही चिन्हित किया जान न्यायहित मे आवश्यक एवम उचित है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 03 में वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 03 के यहाँ बंधक, रहन होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 01 में वर्णित आराजी का सही तरमीम करने के लिए प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सम्पर्क किया तो सेग्रीकेशन द्वारा की गई त्रुटी को शुद्धीकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

करने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी। यही प्रार्थना पत्र माननीय हाजा न्यायालय मे पेश करने का कारण रहा है। यह कि में वर्णित आराजी माननीय हाजा न्यायालय में श्रवणाधिकार एवम क्षेत्राधिकार में होने से अन्दर अवधि उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(अ) ग्राम लालगाँव प.ह. आकोदिया भू.अ.नि.श्री. सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड राज. में स्थित आराजी खाता संख्या नया 209 पुराना–127 खसरा नम्बर– 620/189 खसरा नम्बर 621/190 दर्ज राजस्व नक्शा (लठ्ठा नक्शा) के अनुसार तरमीम किया जावे एवम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा वक्त सेग्रीकेशन गलत नक्शा कम्प्युटर पर ऑन लाईन नक्शे में गलत इन्द्राज का शुद्धीकरण किये जाने के आदेश तहसीलदार सुनेल प.ह. आकोदिया के नाम किये जाने की कृपा करे।

(ब) अन्य न्यायोचित राहत बनजदीक प्रार्थी को दिलवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पत्रांक 1224 दिनांक 25.09.2025 को पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण के संबंध में भू अभि निरी. सलोतिया एवं पटवारी हल्का आकोदिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार बिन्दुवार जबाव दावा निम्नानुसार है– मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की खाता सं. 209 के अनसार सही है। परन्तु प्रार्थी के खातेदारी कब्जे में स्थित नहीं है। मुतबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की खाता सं. 159 के अनुसार सही है। 3. मुतबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की खाता सं. 154 के अनुसार सही है। ऑनलाईन नक्शे में सेग्रीगेशन के दौरान गलत तरमीम हुई है जबकि नक्शे लट्ठे में तरमीम सही है। बिन्दु सं. 5 लगायत 8 माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जबाव प्रा. पत्र श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

3. अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6, 7 की ओर स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 02 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 03 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर– 04 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर– 05 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 06 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर– 07 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर– 08 कानूनी है। एवम प्रार्थना अब, भी स्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ग्राम लालगाँव प.ह. आकोदिया भू.अ.नि.श्री. सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड राज, में स्थित आराजी खाता संख्या नया 200 पुराना 127 का खसरा नम्बर 620/189 रकबा 0.0253 हैक्टेयर बीड प्रथम, खसरा नम्बर– 621/190 रकबा 0.1012 हैक्टेयर माल प्रथम कुल किता 02 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर आराजी, खाता संख्या नया 169 पुराना 132 का खसरा नम्बर– 533/189 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 534/190 रकबा 0. 4676 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 680/436 रकबा 0.0633 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–682/468 रकबा 0.5944 हैक्टेयर (मन्दिर की टुकडी) कुल किता 04 कुल रकबा 1.1382 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 154 पुराना 127 के खसरा नम्बर– 189 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.5691 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 333 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.7841 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 380 रकबा 0.5185 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.9414 हैक्टेयर आराजी को चिन्हित नक्शे एवं सॅग्रीकेशन कम्प्युटर द्वारा की गई नक्शे में त्रुटी का शुद्धीकरण किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. अप्रार्थी सं. 4 व 8 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 26.11.2025 अप्रार्थी सं. 4 व 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम लालगांव तहसील सुनेल का खाता सं. 209, 159, 154 जमाबंदी सं. 2073–76, नक्शा ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

दिनांक 28.08.2025, खसरा नवशा दिनांक 13.07.2025, मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06.2025 एवं सूरजमल के आधारकार्ड की छायाप्रति पेश की। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नवशा ट्रेस दिनांक 23.09.2025 पेश की। अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6, 7 की ओर से छोटूदास पि. चन्दर, राधेश्याम पि. चन्दर, दामोदर पि. मोहनलाल, रघुनन्दन पि. मोहनलाल, रमेशचन्द पि. मोहनलाल के शपथपत्र पेश किये।

6. अभिभाषकगण प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने एकमत होकर बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम लाल गांव पटवार हल्का अकोदिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त अराजी खसरा नं 620/189 व 621/190 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1265 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जबकि खसरा नम्बर 533/189 व 534/190 अप्रार्थी सं0 2 से 4 एवं खसरा नं0 190 व 189 किता 2 अप्रार्थी 5 से 7 की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नं0 620/189 की तरमीम लठ्ठा नक्शा में खसरा नं0 190, 621/190 व 534/190 के लगवा दक्षिण दिशा में होने के बावजुद भी राजस्व कार्मिकों द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश एवं मौका निरीक्षण के खसरा नं0 190, 621/190 व 534/190 के लगवा उत्तर दिशा में कर दी गई है जो अवैध व गैरकानुनी है। इसी प्रकार खसरा नं 621/190 की तरमीम लठ्ठा नक्शा में खसरा नं0 534/190 के लगवा पश्चिम–दक्षिण एवं खसरा नं 189 के दक्षिण–पूर्व दिशा में होने के बावजुद भी राजस्व कार्मिकों द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश एवं मौका निरीक्षण के खसरा नं0 534/190 के लगवा पूर्व दिशा व खसरा नं 190 के लगवा पश्चिम दिशा में कर दी गई है जो अवैध व गैरकानुनी है। पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 25.09.2025 एवं हल्का पटवारी अकोदिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06.2[illegible] स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी लठ्ठा नक्शा के अनुसार [illegible] काश्त है लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में [illegible] से तरमीम कर दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छिपाबड़ौद, जिला बारां (राज०)

है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लठ्ठा नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी लठ्ठा नक्शा के अनुसार काबिज कास्त है लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है। अतः प्रार्थी की तरमीम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

8. अभिभाषकगण प्रार्थी, अप्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हाल जमाबंदी संवत 2073–76 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम लाल गांव पटवार हल्का अकोदिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त अराजी खसरा नं 620/189 व 621/190 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1265 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जबकि खसरा नम्बर 533/189 व 534/190 अप्रार्थी सं0 2 से 4 एवं खसरा नं0 190 व 189 किता 2 अप्रार्थी 5 से 7 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पेश लठ्ठा नक्शा की नकल दिनांक 26.08.2025 एवं पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं 01 के जवाबदावा दिनांक 25.09.2025 व हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट 16.06.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं0 620/189 की तरमीम लठ्ठा नक्शा में खसरा नं0 190, 621/190 व 534/190 के लगवा दक्षिण दिशा में एवं खसरा नं 621/190 की तरमीम लठ्ठा नक्शा में खसरा नं0 534/190 के लगवा पश्चिम–दक्षिण एवं खसरा नं 189 के दक्षिण–पूर्व दिशा में है। सेग्रीगेशन के बाद तैयार ऑनलाईन खसरा नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी के खसरा नं 620/189 की तरमीम खसरा नं0 190, 621/190 व 534/190 के लगवा उत्तर दिशा में एवं खसरा नं 621/190 की तरमीम खसरा नं0 534/190 के लगवा पूर्व दिशा व खसरा नं 190 के लगवा पश्चिम दिशा में कर दी गई है। अतः स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिकों द्वारा [illegible] के दौरान प्रार्थी के खाते की आराजी की तरमीम मूल लठ्ठा नक्शा में [illegible] तरमीम भिन्न की गई है और तहसीलदार सुनेल द्वारा [illegible] स्वीकार भी किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

यह स्थापित सिद्धान्त है कि सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शा तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों को सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के बिना मूल लठ्ठा नक्शा की तरमीम में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। हस्तगत प्रकरण में तहसील सुनेल के तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के प्रार्थी के आराजी की तरमीम गलत दिशा में कर दी गई जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

9. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम लालगांव तहसील सुनेल के खसरा नं. 620/189 व 621/190 की सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शे में बिना किसी सक्षम आदेश के त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई जिसे धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम लालगांव तहसील सुनेल के खसरा नं. 620/189 व 621/190 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम लालगांव तहसील सुनेल के खसरा नं. 620/189 व 621/190 में तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट 1224 दिनांक 25.09.2025 व संलग्न पटवारी रिपोर्ट एवं नक्शा लठ्ठा के अनुसार ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner